MAIN LOGO

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
वन विभाग

प .3(3)वन/2023 जयपुर, दिनांक– 06.10.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में स्थित आरक्षित वन खण्ड बीड मुहाना जो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (28)रा. क.–66 दिनांक 11.2.1966, एफ–7 (2) से आरक्षित वन खण्ड घ ोषित किया गया था, उक्त आरक्षित वन खण्ड की 10.39 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि जिसका विवरण नीचे अनुसूची–1 एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची–2 के अनुसार हैं, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय जैवविविधता व वनस्पतीय भू–संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा संरक्षण आरक्षिति (Conservation Reserve) घोषित करती है, जिसे भविष्य में बीड मुहाना सरंक्षण आरक्षिति खण्ड–बी के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची–1

क्र०सं०	जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	जयपुर ग्रामीण	सागानेर	बीड़ मुहाना	10.39	आरक्षित वन
			योगः–	**10.39 है0**	

अनुसूची–2

उत्तरी सीमा	वनखण्ड मुहाना की वन सीमा के मीनारा सं. 76 से मीनारा सं. 77 व 78 के मध्य रिंगरोड तक वन सीमा लाईन।
पूर्वी सीमा	वनखण्ड मुहाना के मीनारा सं. 77–78 के मध्य से मीनारा सं. 68 व 69 के मध्य तक रिंगरोड की 90 मीटर भूमि को बाहर छोड़ते हुए।
दक्षिणी सीमा	वनखण्ड मुहाना केमीनारा सं. 68–69 के मध्य रिंगरोड से मीनारा सं. 74 तक वन सीमा लाईन ।
पश्चिमी सीमा	वनखण्ड मुहाना के मीनारा सं. 74 से मीनारा सं. 76 तक वन सीमा लाईन।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मोनाली सेन)
[illegible]कारी,वन

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 18:20:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4864916

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
9. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
10. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई–गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, ...
13. जिला कलक्टर, ...
14. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, ...
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. ग्रार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बोक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 18:20:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4864916